न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा राज.

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—56/2016 वाद पत्र

उनवान

1—अमरसिंह पिता गजराज सिंह चारण निवासी मण्डोल रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
2—सुमेरसिह पिता गजराज सिंह चारण निवासी मण्डोल रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
3—रेखाकंवर पुत्री गजराज सिंह चारण निवासी मण्डोल रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1—लादुसिंह पिता लक्ष्मणदान जी चारण निवासी मण्डोल हाल निवास मकान न. 267 ई.रामधाम रोड़ नेहरू कॉलोनी कुंभा सर्किल भीलवाड़ा

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1. फारूख मोहम्मद— अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 06.02.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण को ग्राम मण्डोल पटवार हल्का पीथा का खेड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी के पूर्वज लक्ष्मणदान पिता रूपदान जी चारण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की साबिक आराजी संख्या 306 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा अन्य आरजियत के साथ दर्ज रिकार्ड थी। प्रमाण में जमाबन्दी मय नक्सा ट्रैस प्रस्तुत है। वादीगण एवं प्रतिवादी की के पूर्वज की मृत्यु उपरान्त उनके विरासत का नामान्तरण लादुसिंह व गजराजसिंह के नाम दर्ज किया गया तथा दोनो के मध्य सम्पूर्ण आराजियात का विभाजन हुआ जिसमें से साबिक आराजी संख्या 306 के टुकड़े हुए जिस मे से 306/1 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भुमि लादुसिह प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे आयी तथा 306/2 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता गजराजसिंह के हिस्से मे आयी इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में विभाजन दर्ज किया गया लेकिन वक्त विभाजन के मौके स्थिति एवं कब्जे के अनुसार नवीन नक्सै में तरमीम नम्बरो नही की गई। साबिक आराजी संख्या 306/1 के नवीन नम्बर 549 रकबा 2.54 है. व साबिक आराजी सख्या 306/2 रकबा 1.53 है. कायम किये गये प्रमाण में नकल मिलान क्षैत्रफल एवं नवीन जमाबन्दी प्रस्तुत है। भु —प्रबन्ध के दौरान नवीन नम्बर नवीन नक्क्षै में दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियो एवं अधिकारियो ने वादीगण के कब्जेशुदा हिस्से पर नवीन नम्बर 550 रकबा 1.53 है. को नवीन नक्सै में गलत रूप से फीट कर दिया और प्रतिवादी के हिस्से में आये नवीन नम्बर 549 रकबा 2.54 है. को वादीगण के कब्जेशुदा भु भाग में फिट कर दिया जबकि वादीगण और प्रतिवादी मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर कास्त कर रहे है। केवल राजस्व नक्क्षे मे ही गलत रूप से नम्बर दर्ज कर दिये जिससे कब्जे अनुसार वादीगण अपने हिस्सें की घोषणात्मक एवं इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण के खाते मे दर्ज नवीन आरजी संख्या 550 रकबा 1053 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते मे दर्ज कराने तथा प्रतिवादी के खाते मे दर्ज आराजीसंख्या 549 रकबा 2.52 हैक्ट. भूमि मे से 1.53 हैक्ट. भूमि वादीगण अपने नाम पर दर्ज कराने की घोषणात्मक डिक्री जारी कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी को कई बार मौखिक रूप से अपने अपने कब्जेशुदा रकबे को राजस्व रिकार्ड में दुरस्त करा कर दर्ज कराने की बात कही लेकिन प्रतिवादी हरबार टालमटोल का जवाब देता रहा। तथा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम पर दर्ज आरजी संख्या 549 रकबा

.54 हैक्ट. भूमि मे से 0.31 हैक्ट. भूमि रेखाकंवर पत्नि भूपेन्द्रसिंह चारण को विक्रय कर दी तथा शेष आराजी भी विक्रय करने पर आमादा ह। जबकी मौके पर आराजी संख्या 549 के 1.53 हैक्ट. भूमि के रकबे पर हम वादीगण काबिज है। राजस्व नक्शे में नवीन नम्बर गलत दर्ज हो जाने से प्रतिवादी नाजायज फायदा उठा रहे है वादीगण ने दिनांक 15.05.2016 को अंतिम बार दुरस्ती कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी इन्कार हो गया. जिससे वादीगण को यह वादपत्र प्रस्तुत कराना पड़ा है। वादपत्र अन्दर अवधि में पेश है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 06.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में भु.अ.नि. एव पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर सामिल पत्रावली की गई ।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम मण्डोल पटवार हल्का पीथा का खेड़ा के खााता संख्या 225 में अकित आराजी संख्या 549/2219 रकबा 2.23 हैक्अ. भूमि मे से 1.53 हैक्ट. भूमि वादीगण के खाते मे अंकित करायी जाकर वादीगण के खाता संख्या 39 में दर्ज आराजी संख्या 550 रकबा 1.53 हैक्ट. तथा आराजी संख्या 549/2219 का शेष रकबा 0.70 समायोजित कर प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम मण्डोल पटवार हल्का पीथा का खेड़ा के खाता संख्या 225 में अंकित आराजी संख्या 549/2219 रकबा 2.23 हैक्ट. भूमि मे से 1.53 हैक्ट. भूमि वादीगण के खाते मे अंकित करायी जाकर वादीगण के खाता संख्या 39 में दर्ज आराजी संख्या 550 रकबा 1.53 हैक्ट. तथा आराजी संख्या 549/2219 का शेष रकबा 0.70 हैक्ट. समायोजित कर प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जानेका आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा (राज)

जिला भीलवाड़ा राज.

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्द सिह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–56/2016 वाद पत्र

उनवान

1–अमरसिंह पिता गजराज सिंह चारण निवासी मण्डोल रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
2–सुमेरसिह पिता गजराज सिंह चारण निवासी मण्डोल रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
3–रेखाकंवर पुत्री गजराज सिंह चारण निवासी मण्डोल रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

वादीगण

बनाम

1–लादुसिंह पिता लक्ष्मणदान जी चारण निवासी मण्डोल हाल निवास मकान न. 267 ई.रामधाम रोड़ नेहरू कॉलोनी कुंभा सर्किल भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मण्डोल पटवार हल्का पीथा का खेड़ा के खाता संख्या 225 में अकित आराजी संख्या 549/2219 रकबा 2.23 हैक्ट. भूमि मे से 1.53 हैक्ट. भूमि वादीगण के खाते मे अंकित करायी जाकर वादीगण के खाता संख्या 39 में दर्ज आराजी संख्या 550 रकबा 1.53 हैक्ट. तथा आराजी संख्या 549/2219 का शेष रकबा 0.70 हैक्ट. समायोजित कर प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जानेका आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

यह आज तारीक 06.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा